झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत "खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी" लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा (विज्ञापन संख्या–18/2023) के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत "खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी" लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा (विज्ञापन संख्या–18/2023) दिनांक–27.05.2024 को झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में दो पालियों में निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है :–

दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)
27.05.2024 (सोमवार)	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली 2011 तथा विनियम 2011 (Food Safety & Standards Act, 2006, Food Safety & Standards Rules & Regulation, 2011)	खाद्य एवं पोषण से संबंधित सामान्य ज्ञान (General knowledge about Food & Nutrition)

प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने एवं महत्वपूर्ण अनूदेश के संबंध में :–

1. इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. औपबंधिक रूप से स्वीकृत परीक्षार्थी अपना प्रवेश–पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिनांक–20.05.2024 से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना **पंजीयन संख्या (Registration Number) एवं जन्म तिथि (Date of Birth)** प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं।
3. परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो आयोग के Helpline No. +919431301419 /+919431301636 पर दिनांक–26.05.2024 तक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
4. परीक्षार्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिये गये फोटो की 04 (चार) स्वहस्ताक्षरित रंगीन (Colour) फोटो तथा एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
5. परीक्षार्थी अपने ओ0एम0आर0 शीट में आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्टि करें। ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जा सकती है तथा परीक्षार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
6. ओ0एम0आर0 सीट में उत्तर के गोले में वांछित सूचना अंकित करने हेतु **नीला/काला बॉल प्वाईट पेन** का ही प्रयोग किया जायेगा। अतः परीक्षार्थियों को निदेशित किया जाता कि वे अपने साथ परीक्षा कक्ष में **नीला/काला बॉल प्वाईट पेन** अवश्य लाएँ।
7. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य–पुस्तिकाएँ, खाद्य–सामग्री, कीमती/मूल्यवान सामान एवं अस्त्र–शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के विरूद्ध भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

कृ0पृ0उ0

–2–

8. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केन्द्र पहुँचना सुनिश्चित करेंगे।
9. दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी श्रुतलेखक (Scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जायेगा।
10. Incomplete Application/Non-Payment Of Examination fee/Over Age/Non-Submission of Hard copies/Duplicate applications/Time Barred की सूचना आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।